न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 82/2022
GCMS NO. : 2022/126

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादी :-

1. भंवरसिंह पुत्र भीकदान जाति चारण निवासी कावलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.20/05/2022

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 31/07/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्यास, पटवार हल्का बलाड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 125 रकबा 2.7842 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में वादी अपने हक-हिस्से अनुसार मौके पर पिछले 30-40 वर्षो से शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वादी का लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले नाम रामसिंह पुत्र भीकदान दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान हैं जबकि वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, डाईविंग लाईसेन्स, बैंक डायरी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्कशीट व राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी खसरा नम्बर 591, 592 व 471 ग्राम कावलिया खुर्द पटवार हल्का कावलिया कलां की प्रति आदि में भी वादी का नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान दर्ज है, जो वादपत्र के साथ संलग्न है। वादी का नाम उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 10.11.2022 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया। जिसके सम्बन्ध में वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम गलत इन्द्राज होने से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओ से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसान कार्ड बन रहा है। जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का कथन किया इसलिये सहखातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है, इसलिये सहखातेदारों को प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिये बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 10.11.2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम ग्यास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष पेश है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में खसरा संख्या 125 रकबा 2.7842 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी संवत् 2051-2054 अनुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 292 से भीकदान की विरासत से रामसिंह पुत्र भीकदान दर्ज हुआ। वादी द्वारा चाही गई इस्तदुआ वादी स्वयं सिद्ध कर अनुतोष प्राप्त करें, जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं वादी भंवरसिंह पुत्र भीकदान का एवं अन्य गवाह जयसिंह पुत्र चावडदान, मोहनसिंह पुत्र रामप्रताप सिंह, रामचन्द्र पुत्र किशनसिंह के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम ग्यास की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 (प्रदर्श-1) के खसरा नम्बर 125 में 'रामसिंह पुत्र भीकदान' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा अपने जवाब दावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संवत् 2051-2054 में अंकित नोट से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 292 से खसरा नम्बर 125 में विरासत से भीकदान पि0 करणदान की ज[illegible] दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जमाबन्दी [illegible] 2075-2078 (प्रदर्श-8,9) खसरा नम्बर 591, 592, 471 में अपने पिता के भाईयों के वारिसानों के साथ-साथ वादी का भी [illegible] पुत्र भीकदान' अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

2. वादी भंवरसिंह पुत्र भीकदान के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार वादी ने सशपथ कथन किया कि ''वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 125 में मेरे बोलचाल के नाम रामसिंह पुत्र भीकदान नाम से म्यूटेशन भर दिया गया, जो गलत है। मेरा सही व दस्तावेजी नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान है।'' अन्य शहादत में सह–खातेदार गवाह जयसिंह पुत्र चावडंदान निवासी कुपडावास तहसील बिलाड जिला जोधपुर का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह जयसिंह ने अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि ''वादी भंवरसिंह को मैं व्यक्तिगत जानता हुँ। कांवलिया खुर्द के खसरा नम्बर 591,592,471 में इनका नाम सही दर्ज है। ग्राम ग्यास की कृषि भूमि में इनके बोलचाल के नाम से रामसिंह पुत्र भीकदान नामान्तकरण भर दिया। इनका सही व दस्तावेजी नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान है।'' अन्य शहादत में गवाह मोहनसिंह पुत्र रामप्रतापसिंह निवासी प्रतापपुरा तहसील जैतारण एवं गवाह रामचन्द्र पुत्र किशनदान का साक्ष्य शपथ–पत्र क्रमशः P/W 03 एवं P/W 04 प्रस्तुत किया। गवाह मोहनसिंह एवं रामचन्द्र ने अपने–अपने शपथ–पत्र पर सशपथ कथन किये कि ''वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 125 में वादी का नाम सही नहीं है। वादी का सही व दस्तावेजी नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान है।''

3. वादी द्वारा वादपत्र में न्यायालय में निर्णित प्रकरण उनवान गुमानकंवर बनाम रामसिह की फॉटोप्रति उपलब्ध करवाई है। उक्त प्रकरण वादीया गुमानकंवर द्वारा जरिये विड्रोल फैसल करवाया है एवं अपने हिस्से का त्याग भतीजे रामसिंह उर्फ भंवरसिंह पुत्र भीकदान एवं युवराजसिंह पुत्र मेघदानसिंह के पक्ष में किया जाना अंकित है।

4. प्रदर्श दस्तावेजात यथा प्रदर्श–2ए (आधार–कार्ड), प्रदर्श–3ए (निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान–पत्र), प्रदर्श–4ए (राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड), प्रदर्श–5ए (ड्राईविंग लाईसेन्स), प्रदर्श–6ए (भारतीय स्टेट बैंक पासबुक), प्रदर्श–7ए (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकण्डरी स्कू परीक्षा, 1977 की अंक तालिका) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेजो में वादी का नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान है।

5. प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में वादी का नाम भंवरसिंह पुत्र भीकदान दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी संवत् 2051–2054 अनुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 292 से भीकदान की विरासत से रामसिंह पुत्र भीकदान दर्ज हुआ। वादी द्वारा चाही गई इस्तदुआ वादी स्वयं सिद्ध कर अनुतोष प्राप्त करें, जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के शपथ–पत्र एवं गवाह स्वयं वादी भंवरसिंह पुत्र भीकदान व अन्य गवाह जयसिंह पुत्र चावंडदान, मोहनसिंह पुत्र रामप्रताप सिंह, रामचन्द्र पुत्र किशनदान का शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जेतारण

खसरा नम्बर 125 रकबा 2.7842 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम ग्राम ग्राम ग्यास पटवार हल्का बलाडा के भू-अभिलेख दर्ज प्रविष्टि 'रामसिंह पुत्र भीकदान' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'भंवरसिंह पुत्र भीकदान' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्यास, पटवार हल्का बलाड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 125 रकबा 2.7842 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के भू-अभिलेख में वादी का नाम ***रामसिंह पुत्र भीकदान*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'रामसिंह पुत्र भीकदान'*** *के स्थान पर* ***'भंवरसिंह पुत्र भीकदान'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 31/07/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**
बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–ः वादीगण :– **बनाम** **–ः प्रतिवादी :–**

1.भंवरसिंह पुत्र भीकदान
जाति चारण निवासी कावलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 82/2022

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सरहद मौजा ग्यास, पटवार हल्का बलाड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 125 रकबा 2.7842 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के **भू–अभिलेख में** वादी का नाम ***रामसिंह पुत्र भीकदान*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'रामसिंह पुत्र भीकदान'*** *के स्थान पर* ***'भंवरसिंह पुत्र भीकदान'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **31/07/2023** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	4.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	8.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च [illegible] के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.08.17 12:51:00 IST
Reason: SelfAttested